

3-6-2015

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत
ग्रुप रातीपुरा पर प्रस्टुत डूची
वादी केशर सिंह (आफिस) उम्रिवरी नं
1 ता 3 व 5, 6 नि अरु व श्री
शमोजी लाल चौधरी Adv. आफिस)

वादी ने बताया कि अनुमान मे हमारी (स्टिस्टे)
जमीन जरिये रजिस्ट्री अन्त को बच दी

है। वादी को बताया गया कि वह
रजिस्ट्री विन्तु पत्र निरस्तीकरण हेतु

सक्षम न्यायालय मे वाद दाखल करें।

वादी सक्षम न्यायालय मे वाद दाखल

करने हेतु सूझात है। अतः वाद वादी

इस न्यायालय मे विचारणीय योग्य

नहीं होने से खारिज किया जाता

है। पत्रावली फाइनल सुनार हो कर नाफर

से कम है तथा दफ्तर दाखिल है।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(16)

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टोक